न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 47/2023 बउनवानी मनोज कुमार जैन बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर बौंली
निo नेहा विला महावीर मार्ग बौंली,
GCMS No-2023/95

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
31.8.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 17.4.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः— 1. ग्राम रवासा पटवार हल्का बांस टोरडा तहसील बौंली जिला सवाईमाधोपुर के गत ख.न.19/1 के नवीन ख0न 50/824 श्रीमति शर्मिला जैन,50/825 श्रीमति प्रेमलता जैन, 50/826 श्रीमति प्रीति जैन, सभी निवासी बौंली की 1—1 बीघा भूमि एवं 50/827 श्रीमति चांद देवी रूरल डवलपमेंट एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी बौंली 7 बीघा भूमि की डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत सेग्रीगेशन के तहत गलत तरमीम करने बाबत पटवार हल्का गिरदावर हल्का एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत पत्रावली में शामिल दस्तावेजों की प्रमाणित नकल 4 प्रति में उपलब्ध करानी है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ किन्तु जरिये डाक अपनी आपत्ति दिनांक 20.7.2023 को प्रेषित कर निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी उपजिला कलेक्टर बौंली द्वारा अपीलान्ट को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर बौंली के जवाब नोटिस कमांक/सूकाअ/2023/5509 दिनांक 21.8.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 17.4.2023 के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना के संबंध में अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 3975 दिनांक 10.7.2023 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि बिन्दु संख्या 1 की सूचना, अपीलान्ट सीपीसी,1986 की धारा 218 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 17.4.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना के संबंध में लोक उपजिला कलेक्टर बौंली द्वारा अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 3975 दिनांक 10.07.2023 से वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है कि सीपीसी,1986 की धारा 218 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त करने के लिए लिखा गया है किन्तु लोक सूचना अधिकारी का उक्त कथन गलत है क्योकि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत भी उक्त बिन्दु संख्या 1 की सूचना देय है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को [illegible] का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.4.2023 के कम में [illegible] बि[illegible] की सूचना निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का [illegible]रण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील [illegible] अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:43:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner